

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चि.स्वा./ग्रुप-2/2011

जयपुर, दिनांक : 02.01.2012

आ दे श

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.12.2011 के द्वारा निम्न चिकित्सकों को निलम्बित किया गया था:-

1. डा. जी. डी. माहेश्वरी, चिकित्सा अधिकारी, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
2. डा. मोहन लाल सिंघी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, अलवर
3. डा. अजय चौधरी, चिकित्सा अधिकारी, आर. सी. एच. ओ. चुरु
4. डा. जे. एस. खोसा, क. वि. (शिशु) जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़
5. डा. जगदीश मोदी, चिकित्सा अधिकारी, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. डा. भंवर अजीत सिंह शेखावत, चिकित्सा अधिकारी, जे. के. लोन हॉस्पिटल, जयपुर।
7. डा. राजेश टेकचंदानी, चिकित्सा अधिकारी, के. एन. टी. बी. सी., अजमेर
8. डा. शिवदयाल मंगल, क. वि. (गायनी) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाडी, धौलपुर
9. डा. अशरफ अली पठान, क. वि. (शिशु), राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
10. डा. एस. एन. जाट, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, टोंक
11. डा. विष्णु दयाल मीणा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, झुंझुनू
12. डा. खुशवंत खत्री, चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. केन्द्र, भियाड, बाडमेर
13. डा. दर्शन ग्रोवर, व. चि. अ., सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालन्द्री, सिरोही
14. डा. राकेश हीरावत, चिकित्सा अधिकारी, सैटेलाईट चिकित्सालय, जयपुर
15. डा. दुर्गाशंकर सैनी, ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी, प्राथ. स्वा. केन्द्र, अरन्डखेडा, कोटा
16. डा. सुधीर जैन, क. वि. (मेडिसन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीसांगन, अजमेर से लम्बी अवधि से अनुपस्थित

उक्त चिकित्सकों को निलम्बन से बहाल करते हुए निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त सभी चिकित्सक अपने पूर्व पदस्थापन स्थान पर ही कार्यरत रहेंगे।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय
- 2- निजी सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय ।
- 3- निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 4- उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय
- 5- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- संबंधित जिला कलेक्टर, राजस्थान
- 10- निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर
- 11- संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
- 12- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 13- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 14- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- 15- संबंधित अधिकारी को मार्फत निदेशक, जन स्वास्थ्य
- 16- कम्प्यूटर सेल/निजी /रक्षित पत्रावली

शासन सहायक सचिव